न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 56/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/106

प्रार्थी:–	**बनाम**	**अप्रार्थीगण :–**
1. कानाराम पुत्र तुलसाराम, जाति घांची निवासी ढाब नाडी का बास, ढाबर, तहसील रोहट जिला पाली 2. सुगनादेवी पत्नी कानाराम जाति घांची निवासी ढाब नाडी का बास, ढाबर तहसील रोहट जिला पाली		1. पदमलाल पुत्र देवाराम जाति सुथार, निवासी ढाब नाडी का बास ढाबर, तहसील रोहट, जिला पाली। 2. ग्राम पंचायत ढाबर, जरिये सरपंच तहसील रोहट जिला पाली। 3. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत ढाबर, तहसील रोहट, जिला पाली।

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर पंचारिया।

–: निर्णय :–

दिनांक : 27/03/2025

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत ढाबर, तहसील रोहट द्वारा मिसल संख्या 165/2004, प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 05.11.2004 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 6601 दिनांक 05.11.2004 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 वक्त बहस अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम ढाबर में ढाब नाडी का बास में प्रार्थीगण का मकान स्थित है, जिसमें वह निवासरत है जिसका ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 6428 दिनांक 20.12.2000 जारीसुदा है। जैर निगरानी पट्टे हेतु न तो पत्रावली दर्ज हुई, न ही नक्शा बनाया गया, न मौका देखा गया और न ही आपत्ति नोटिस जारी किया गया। ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज में विहित प्रावधानों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया, जिसे खारिज फरमावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत ढाबर, तहसील रोहट द्वारा मिसल संख्या

अति. जिला कलेक्टर पाली

165/2004, प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 05.11.2004 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 6601 दिनांक 05.11.2004 के विरूद्ध पेश की है।

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विहित है। जिसके अनुसार नियम 145 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि/छूटा हुआ भूखण्ड या भूमि की कोई पट्टी खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के व्ययों के पेटे पच्चीस रूपये की राशि जमा करानी होगी तथा आवेदन के साथ स्थल का नक्शा संलग्न नही किया गया हो तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिये भी पच्चीस रूपये जमा करायेगा। इसके पश्चात नियम 146 के तहत मिसल कायम करने तथा मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा कमेटी द्वारा 15 दिवस के भीतर मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है। नियम 147 के तहत अनंतिम विनिश्चिय करने एवं नियम 148 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने को नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 148 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 149 के तहत प्रदत्त है। नियम 150 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 151 में नीलामी समिति प्रावधित है। नियम 152 में बाजार कीमत सम्बन्धी तथा नियम 153 में संदाय एवं पुनर्विक्रय करने के प्रावधान उल्लेखित है तथा नियम 154 के तहत विक्रय की पुष्टि करने के प्रावधान है। नियम 155 के तहत कब्जा सुपुर्द करने के प्रावधान है। नियम 156 के तहत प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अन्तरण करने के प्रावधान हे। नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण के प्रावधान है, जिसमें 50 वर्ष से अधिकार पूर्व के निर्मित मकानों हेतु 100/– रूपये एवं इन नियमों के लागू होने की तिथित को 50 वर्षो के दौरान बने पुरने मकानो हेतु 200/– रूपये जमा कराने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। नियम 158 के तहत भूमियों का कमजोर वर्गो को आवंटन के प्रावधान है। नियम 159 के तहत भूमियों का रियायती कीमत पर आवंटन तथा नियम 160 के तहत अनुमोन के अध्यधीन अन्तरण और आवंटन के प्रावधान उल्लेखित है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत जारी किया गया हैं। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया है। ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल रेकर्ड में हस्तगत पट्टे की मिसल में केवल आदेशिका ही संलग्न है और वो भी फोटाप्रति है, जिसमें पट्टाधारक का नाम पश्चातवर्ती अंकित किया है। सम्पूर्ण मिसल की आदेशिका में न तो सरपंच के हस्ताक्षर है और न ही किसी आदेशिका में दिनांक का अंकन है। जैर निगरानी पट्टे में प्रसताव संख्या 4 दिनांक 05.11.04 अंकित है परन्तु ग्राम पंचायत से

अति. जिला कलेक्टर पाली

प्राप्त मूल बैठक कार्यवाही रजिस्टर में दिनांक 05.11.2004 कि बैठक में केवल दिनांक का अंकन है उसमें की गई किसी भी कार्यवाही अथवा प्रस्ताव का अंकन नहीं है जबकि बैठक कार्यवाही रजिस्टर में पृष्ठ अनवरत है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टे विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत ढाबर, तहसील रोहट द्वारा मिसल संख्या 165/2004, प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 05.11.2004 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 6601 दिनांक 05.11.2004 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 27/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली